

**कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)
सिविल जिला नर्मदापुरम के लिये वर्ष 2023**

कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक क /दो-11-17/23

नर्मदापुरम,दिनांक 18/04/2023

मैं, सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक को निरस्त करते हुये, मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 3 की धारा 33 व 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वर्ष 2023 के लिये सिविल जिला नर्मदापुरम एवं सेशन खंड नर्मदापुरम के लिये कार्य विभाजन आदेश **तत्काल प्रभावशील** किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रसारित करता हूँ :-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
1.	प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नर्मदापुरम (श्री सतीश चंद्र शर्मा)	संपूर्ण राजस्व जिला एवं सेशन खंड नर्मदापुरम	01- विशेष सेशन न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिए जाने वाले सेशन मामलों को छोड़कर समस्त सेशन प्रकरण । 02- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 03- सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 10,00,00,000/- रूपये से अधिक हो। 04- सभी प्रकार के मामले सहकारी अधि0 1960 इत्यादि। 05- उक्त सिविल वादों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन वाद। 06- लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1971 के प्रकरण। 07- प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख एक से अधिक हो। 08- स्थान नियंत्रण अधि0 की धारा 31 की अपीले। 09- नगर पालिका अधि0 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका। 10- भू-अर्जन अधिनियम 1994 के मामले। 11- वे समस्त मामले जो विशेष अधि0 के अंतर्गत तथा किसी भी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के न हों। 12- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की अपीले। 13- कॉमर्शियल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से भिन्न वाणिज्यिक विवाद संबंधी प्रकरणों का निराकरण। 14- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मानव अधिकार संरक्षण अधि0 1999 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के हनन से उदभूत प्रकरण। 15- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 16- म0प्र0 निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम, 2000 17- बालकों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2005

1	2	3	4
			<p>18- मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत "न्यायालय" अर्थात् प्रधान सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के जैसे कि धारा 24, 26 एवं 27 के तहत प्रकरण, भारतीय न्यास अधिनियम 1982 की धारा 72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, चेरिटेबल तथा रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>19- आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित आपराधिक अपीलें।</p> <p>20- ग्राम न्यायाधिकारी नर्मदापुरम एवं सोहागपुर द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न सिविल/आपराधिक अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियां।</p> <p>21- धारा 24 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>22- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।</p> <p>23- The Contonments Act 2006 (छावनी अधिनियम) के अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।</p> <p>24- विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20(ख) के तहत क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग तथा दावों का विचारण। (मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.12.2022 एवं रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक बी/6235/तीन-6-5/ 18, जबलपुर दिनांक 23.12.2022)</p>
		<p>मुख्यालय नर्मदापुरम पर प्रस्तुत होने वाली</p>	<p>25- समस्त सिविल अपीलें तथा विविध सिविल अपीलों का निराकरण।</p> <p>26- आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण।</p> <p>27- विशेष सेशन न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिए जाने वाले सेशन मामलों को छोड़कर समस्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 व 439 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।</p>
		<p>थाना कोतवाली नर्मदापुरम, थाना देहात, थाना माखन नगर एवं थाना डोलरिया के समस्त ग्राम।</p>	<p>28- कॉलम नं. 03 में वर्णित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर यान अधिनियम 1939 एवं 1988 के समस्त दावा प्रकरण।</p>
2	<p>विशेष न्यायाधीश नर्मदापुरम (अ.जा.अ.ज. जा.अ.नि.अधि.) एवं प्रथम जिला न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त अधिकरण (श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा)</p>	<p>राजस्व जिला एवं सेशन खंड नर्मदापुरम</p>	<p>1- अनुजाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1981 के प्रकरण तथा उनके जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p> <p>2- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अपराधों का विचारण।</p> <p>3- स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 से संबंधित विशेष प्रकरण।</p> <p>4- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p>

1	2	3	4
3	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश तथा प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नर्मदापुरम (श्री जफर इकबाल)	संपूर्ण राजस्व जिला एवं सेशन खंड नर्मदापुरम	<p>1- भ्रष्टाचार निवारण अधि० 1988 के अंतर्गत सिविल जिला नर्मदापुरम के लिये।</p> <p>2- म०प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि० 1982 के समस्त प्रकरण।</p> <p>3- जिला न्यायाधीश के श्रवण क्षेत्राधिकार के न्यास अधि० 1951 के अंतर्गत मामले।</p>
		तहसील नर्मदापुरम	<p>4- सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,001/- से अधिक तथा 10,00,00,000/- तक हो। अधिक तथा 10,00,00,000/- तक हो।</p> <p>5- लघुवाद अधि० 1877 के अधीन मामले जिनका मूल्यांकन 501 से अधिक तथा 1000/- से अधिक न हो।</p> <p>6- उपरोक्त सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक मामले तथा निष्पादन मामले।</p> <p>7- हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि. 1956 के अंतर्गत मामले।</p> <p>8- प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख से कम हो।</p> <p>9- दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले।</p> <p>10- इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट 1912 के अंतर्गत मामले।</p> <p>11- भारतीय उत्तराधिकार अधि० 1925 के अधीन मामले में सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के आदेशों के विरुद्ध मामले।</p> <p>12- ऐसे समस्त अपर जिला/सेशन न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रेक न्यायालय नर्मदापुरम जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>13- अन्य कार्य जो प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
		मुख्यालय नर्मदापुरम	<p>14- माध्यस्थ अधिनियम 1996 के अंतर्गत मामले।</p> <p>15- मुख्यालय पर प्रस्तुत होने वाली म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित अपीलों का निराकरण।</p>
4	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नर्मदापुरम (श्री अभिनव कुमार जैन)	<p>सेशन खंड नर्मदापुरम</p> <p>तहसील माखन नगर एवं तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम।</p>	<p>1- सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,001/- से अधिक तथा 10,00,00,000/- तक हो।</p> <p>2- हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 (तहसील नर्मदापुरम, माखननगर, डोलरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों से उत्पन्न प्रकरण)</p> <p>3- लघुवाद अधि० 1877 के अधीन मामले</p>

			जिनका मूल्यांकन 501 से अधिक तथा 1000/- से
1	2	3	4
			<p>अधिक न हो।</p> <p>4- उपरोक्त सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक मामले तथा निष्पादन मामले।</p> <p>5- हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि० 1956 के अंतर्गत मामले।</p> <p>6- दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले।</p> <p>7- इंडियन ल्यूनेंसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत मामले।</p> <p>8- तृतीय जिला न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक (पॉक्सो अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>9- तृतीय जिला न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के समस्त सिविल एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से उद्भूत समस्त प्रकरणों/भुगतान आवेदन एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>10- तृतीय जिला न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2020 के पूर्व निराकृत, (POCSO Act, 2012) से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) शेष समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>11- अन्य कार्य जो प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
		मुख्यालय नर्मदापुरम पर प्रस्तुत होने वाले	12- विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		संपूर्ण राजस्व जिला नर्मदापुरम	13- The Banning of Unregulated Deposit Scheme Act 2019 (21 of 2019) से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों का निराकरण। (अधिसूचना क्रमांक सी/306/तीन-6-3/2019 जबलपुर दिनांक 28.01.2020)
5	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नर्मदापुरम (श्रीमती आरती ए. शुक्ला)	सेशन खंड नर्मदापुरम मुख्यालय नर्मदापुरम	1- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी/5943, (Exclusive POCSO)/तीन-6-5/2010 FTSCs C.S.S. जबलपुर दिनांक 24.09.21 अनुसार मुख्यालय नर्मदापुरम में प्रस्तुत होने वाले लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO

			Act, 2012) के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाहीयां।
1	2	3	4
		संपूर्ण सेशन खंड नर्मदापुरम	<p>2- बालको के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>3- कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p> <p>4- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र के, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के साथ लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही।</p> <p>5- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (3) के अधीन प्रेषित मामले जिनमें बालक के व्यस्क के भांति विचारण किए जाने हेतु स्थानांतरण किया गया है।</p> <p>6- किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 86 द्वारा बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले।</p> <p>7- किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 101 के अंतर्गत अपील।</p>
6	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम (श्री सिराज अली)	तहसील नर्मदापुरम, तहसील माखन नगर एवं तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम।	<p>1- प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख से कम हो।</p> <p>2- भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के अधीन मामले में सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के आदेशों के विरुद्ध मामले।</p> <p>3- ग्राम न्यायालय, नर्मदापुरम के क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण एवं अपीलें।</p> <p>4- मुख्यालय नर्मदापुरम में प्रस्तुत होने वाले म0प्र0 रियल स्टेट रेग्यूलेटोरी एथोरिटी (RERA) भोपाल द्वारा धारा 40 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डब्लपमेंट) अधिनियम 2016 एवं नियम 26 म0प्र0 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डब्लपमेंट) नियम 2016 के अंतर्गत प्रकरणों में पारित आदेशों के निष्पादन प्रकरण।</p> <p>5- कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p> <p>6- निराकृत समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p>
7	प्रथम सिविल	तहसील नर्मदापुरम,	कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन

	न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नर्मदापुरम (श्रीमती रितु वर्मा कटारिया)	तहसील माखन नगर एवं तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम।	न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।
1	2	3	4
8	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नर्मदापुरम (श्रीमती सपना भारती कतरोलिया)	तहसील नर्मदापुरम, तहसील माखन नगर एवं तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम।	कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।
9	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम (श्री शिवचरण पटेल)	तहसील नर्मदापुरम, तहसील माखन नगर एवं तहसील डोलरिया के समस्त ग्राम।	1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन रू0 5,00,001/- से 1,00,00,000/- तक हो एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले। 2- उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। 3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 4- ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता वाले सिविल प्रकरण। 5- पंचायत ऐक्ट के अंतर्गत सिविल तथा आपराधिक पुनरीक्षण। 6- लघुवाद अधि0 1877 के अधीन मामले जिनका मूल्यांकन 500/- से अधिक न हो। 7- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 8- न0पा0 अधि0 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत अपीलें। 9- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे एवं वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 10- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।
		तहसील सिवनी मालवा	1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन रू0 5,00,001/- से 1,00,00,000/- तक हो एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले। 2- उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। 3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 4- न0पा0 अधि0 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत तहसील सिवनी मालवा से उत्पन्न अपीलें। 5- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत

			थे एवं वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।
1	2	3	4
			6- नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत तहसील सिवनी मालवा से उत्पन्न अपीलें। 7- अन्य कार्य जो प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा सौंपा जावे।
10	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम (श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह)	तहसील नर्मदापुरम,	1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1/- से 5,00,000/- तक हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन मामले। 2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 100/- तक हो। 3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 4- स्वयं के न्यायालय से उद्भूत अथवा अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण। 5- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे किन्तु वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, से उद्भूत अथवा अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण। 6- द्वितीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के समस्त सिविल प्रकरणों से उद्भूत एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 7- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।
11	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम (सुश्री गुप्ता) अनुभूति	तहसील माखन नगर	1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1/- से 5,00,000/- तक हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन मामले। 2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 100/- तक हो। 3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 4- स्वयं के न्यायालय से उद्भूत अथवा अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण। 5- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।
12	द्वितीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम	तहसील "डोलरिया के समस्त ग्राम।	1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1/- से 5,00,000/- तक हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन मामले।

	(श्रीमती रूचि शर्मा पांडे)		<p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 100/- तक हो।</p> <p>3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले।</p>
1	2	3	4
			<p>4- स्वयं के न्यायालय से उद्भूत अथवा अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>5- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
इटारसी			
13	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटारसी (श्री हर्ष भदौरिया)	<p>सेशन खंड नर्मदापुरम</p> <p>तहसील इटारसी</p>	<p>1- कु.निधि मादितो पिंटो, प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल अपीलें एवं विविध अपीलें।</p> <p>2- कु.निधि मादितो पिंटो, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इटारसी के निर्णय/आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>3- श्री निखिल सिंघई, तृतीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालयों के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल वाद विविध वाद अपीलें।</p> <p>4- न्यास अधि 1951 के अंतर्गत मामले।</p> <p>5- आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इटारसी (श्री निखिल सिंघई) के निर्णय/आदेशों के विरुद्ध हो तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी इटारसी के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>6- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>7- माध्यस्थ अधिनियम 1996 के अंतर्गत मामले।</p> <p>8- न०पा० अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण/ अन्य याचिकायें।</p> <p>9- हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956</p> <p>10- आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, इटारसी के रिक्त न्यायालयों के निर्णय/आदेशों के विरुद्ध हो।</p> <p>11- इंडियन ल्यूनेंसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p>

			12- प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख से कम हो । 13- स्वयं के न्यायालय से उद्भूत होने विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा अन्य समस्त विविध मामले ।
1	2	3	4
		थाना इटारसी	14- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर व्हीकल ऐक्ट 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले । 15- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सेशन मामले, जमानत आवेदन पत्र । 16- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्रांतर्गत हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 एवं अन्य वैवाहिक आदि के वाद तथा आवेदन पत्र ।
14	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटारसी (श्री ललित कुमार झा)	सेशन खंड नर्मदापुरम	1- 1,00,00,001/-से अधिक तथा 10,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सभी प्रकार के सिविल वाद प्रकरण । उक्त सिविल वाद तथा लघु वाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक मामलों तथा निष्पादन मामले । 2- प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी एवं प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी एवं इटारसी के रिक्त सिविल/दांडिक न्यायालयों के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल/ विविध अपीलें एवं आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण याचिकायें । 3- कॉलम नंबर 03 के क्षेत्राधिकार के म0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेटॉरी एथोरिटी (RERA) भोपाल द्वारा धारा 40 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डब्लपमेंट) अधिनियम 2016 एवं नियम 26 म0प्र0 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डब्लपमेंट) नियम 2016 के अंतर्गत प्रकरणों में पारित आदेशों के निष्पादन प्रकरण ।
		तहसील इटारसी	4- वन विधि से संबंधित सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण 5- संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधि0 1890 एव 1956 के तहत मामले । 6- म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित अपीलों का निराकरण । 7- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण ।
		थाना पथरौटा एवं	8- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र में दुर्घटना

		केसला	घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर व्हीकल ऐक्ट 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले।
1	2	3	4
			9- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र से उद्भूत होने वाले सेशन मामले, जमानत आवेदन पत्र। 10- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र से उद्भूत हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 एवं अन्य वैवाहिक आदि के वाद तथा आवेदन पत्र।
15	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटारसी (श्रीमती सुशीला वर्मा)	सेशन खंड नर्मदापुरम तहसील इटारसी	1- तहसील मुख्यालय इटारसी के क्षेत्राधिकार के लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही। 2- बालको के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 3- विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 4- ऐसे समस्त जिला/अपर सेशन न्यायाधीश एवं लिंक कोर्ट न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 5- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।
		थाना रामपुर गुरा, थाना जी0आर0पी0 तवानगर	6- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर व्हीकल ऐक्ट 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले। 7- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सेशन मामले, जमानत आवेदन पत्र। 8- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्रांतर्गत हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 एवं अन्य वैवाहिक आदि के वाद तथा आवेदन पत्र।
16	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी (श्री सूर्यपाल सिंह राठौर)	तहसील इटारसी	1- पंचायत अधिनियम के अंतर्गत सिविल तथा आपराधिक पुनरीक्षण। 2- तहसील इटारसी से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग-10 के

			<p>अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले।</p> <p>3- न.पा. अधि० 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत अपीलें।</p> <p>4- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त</p>
1	2	3	4
			<p>न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>5- कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p> <p>6- अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण।</p>
17	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी के अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी (कु० निधि मादितो पिंटो)	तहसील इटारसी	<p>1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन रु 5,00,001 से 1,00,00,000/- तक हो एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले।</p> <p>2- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले।</p> <p>3- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 101/- से 500/- तक हो।</p> <p>4- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
18	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी	रिक्त	रिक्त
19	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, इटारसी के अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी (श्रीमती पूजा भदौरिया)	तहसील इटारसी	<p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्रों का निराकरण।</p> <p>2- स्वयं के न्यायालय से उद्भूत होने वाले विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा अन्य समस्त विविध मामले।</p>
20	तृतीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, इटारसी (श्री निखिल सिंघई)	तहसील इटारसी	<p>1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1/- से 5,00,000/- तक हो।</p> <p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 100/- तक हो।</p> <p>3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले।</p> <p>4- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, इटारसी के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के</p>

			सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।
			5- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय समय पर निराकरण हेतु सौंपा जावे।
1	2	3	4
सिवनी मालवा			
21	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम श्रृंखला न्यायालय, सिवनी मालवा (श्री सिराज अली)	सिवनी मालवा	<p>1- 1,00,00,001/- से 10,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सभी प्रकार के सिविल वाद प्रकरण। उक्त सिविल वाद तथा लघु वाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक मामलें तथा निष्पादन मामले।</p> <p>2- सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खंड सिवनी मालवा के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल वाद विविध वाद अपीलें।</p> <p>3- तहसील सिवनी मालवा से उत्पन्न होने वाले सेशन मामले, आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>4- न0पा0 अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण /अन्य याचिकाएँ।</p> <p>5- हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956</p> <p>6- आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा के निर्णय /आदेशों के विरुद्ध हो तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी सिवनी मालवा के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>7- तहसील मुख्यालय सिवनी मालवा के क्षेत्राधिकार के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही।</p> <p>8- तहसील सिवनी मालवा के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर व्हीकल ऐक्ट 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले।</p> <p>9- हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि0 1955 के तहत मामले।</p> <p>10- माध्यस्थ अधिनियम 1996 के अंतर्गत मामले।</p> <p>11- संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1956 के तहत मामले।</p> <p>12- हिंदू विवाह अधि01955 के तहत एवं अन्य वैवाहिक आदि के वाद तथा आवेदन पत्र।</p> <p>13- इंडियन ल्यूनेंसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>14- प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख से कम हो।</p> <p>15- संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत मामले।</p> <p>16- बालको के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।</p>

			17-	माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 12371/2014 मेग्मा फिनकोर्प लिमिटेड बनाम राजभान सिंह में पारित आदेश दिनांक 30.04.15 के क्रम में प्रस्तुत होने वाले तहसील सिवनी मालवा के आर्बिट्रेशन के निष्पादन प्रकरण।
1	2	3	4	
			18-	तहसील सिवनी मालवा के क्षेत्राधिकार के म0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेटॉरी एथोरिटी (RERA) भोपाल द्वारा धारा 40 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डवलपमेंट) अधिनियम 2016 एवं नियम 26 म0प्र0 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डवलपमेंट) नियम 2016 के अंतर्गत प्रकरणों में पारित आदेशों के निष्पादन प्रकरण।
			19-	तहसील सिवनी मालवा के क्षेत्राधिकार की म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित अपीलों का निराकरण।
			20-	प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।
22	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा (श्रीमती सिंह)	तहसील सिवनी मालवा		कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।
23	सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सिवनी मालवा (श्रीमती सहांगी दुग्गल)	तहसील सिवनी मालवा	1-	नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन रु0 1/- से 5,00,000/- तक हो एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले।
			2-	पंचायत ऐक्ट के अंतर्गत सिविल तथा आपराधिक पुनरीक्षण।
			3-	लघुवाद अधि0 1877 के अधीन मामले जिनका मूल्यांकन 500/- से अधिक न हो।
			4-	नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले।
			5-	ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सिवनी मालवा के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे एवं वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।
			6-	अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।
सोहागपुर				
24	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा	सेशन खंड नर्मदापुरम तहसील सोहागपुर	1-	1,00,00,001/- से अधिक तथा 10,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सभी प्रकार के सिविल वाद प्रकरण। उक्त सिविल वाद तथा लघु वाद मामलों से उत्पन्न

	अधिकरण सोहागपुर (श्री संतोष सैनी)		<p>विविध न्यायिक मामलें तथा निष्पादन मामले ।</p> <p>2— सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सोहागपुर / कनिष्ठ खंड सोहागपुर निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल वाद विविध वाद अपीलें ।</p> <p>3— न0पा0 अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण / अन्य याचिकाएँ ।</p>
1	2	3	4
			<p>4— हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956</p> <p>5— आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण जो न्या0दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोहागपुर के निर्णय / आदेशों के विरुद्ध हो तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी सोहागपुर के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें ।</p> <p>6— तहसील मुख्यालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही ।</p> <p>7— थाना सोहागपुर के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर यान अधिनियम 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले ।</p> <p>8— हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि0 1955 के तहत मामले ।</p> <p>9— माध्यस्थ अधिनियम 1996 के अंतर्गत मामले ।</p> <p>10— संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1956 के तहत मामले ।</p> <p>11— तहसील सोहागपुर से उत्पन्न होने वाले सेशन मामले आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण जमानत आवेदन पत्र ।</p> <p>12— हिंदू विवाह अधि0 1955 के तहत एवं अन्य वैवाहिक आदि के वाद तथा आवेदन पत्र ।</p> <p>13— इंडियन ल्यूनेंसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत समस्त प्रकरण ।</p> <p>14— प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख से कम हो ।</p> <p>15— विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत गठित न्यायालय के अंतर्गत तहसील सोहागपुर तथा पंचमढी के समस्त प्रकरण ।</p> <p>16— ऐसे समस्त अपर जिला/सेशन न्यायाधीश सोहागपुर के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का</p>

			<p>निराकरण।</p> <p>17- ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उदभूत पुनरीक्षण एवं अपीलें।</p> <p>18- संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत मामले।</p> <p>19- बालको के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>20- माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की</p>
1	2	3	4
			<p>रिट पिटीशन क्रमांक 12371/2014 मेग्मा फिनकोर्प लिमिटेड बनाम राजभान सिंह में पारित आदेश दिनांक 30.04.15 के क्रम में प्रस्तुत होने वाले तहसील सोहागपुर के आर्बिट्रेशन के निष्पादन प्रकरण।</p> <p>21- तहसील सोहागपुर के क्षेत्राधिकार के म0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेटोरी एथोरिटी (RERA) भोपाल द्वारा धारा 40 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डवलपमेंट) अधिनियम 2016 एवं नियम 26 म0प्र0 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डवलपमेंट) नियम 2016 के अंतर्गत प्रकरणों में पारित आदेशों के निष्पादन प्रकरण।</p> <p>22- तहसील सोहागपुर के क्षेत्राधिकार की म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित अपीलों का निराकरण।</p> <p>23- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।</p>
25	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सोहागपुर		रिक्त
26	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सोहागपुर (कु0 मधुलिका मुले)	तहसील सोहागपुर	<p>1- तहसील क्षेत्र के ₹0 5,00,001/- से 1,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सिविल वाद तथा उक्त वादों से संबंधित निष्पादन एवं विविध वाद।</p> <p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 1/- से 500/- तक हो।</p> <p>3- भारतीय उत्तराधिकार अधि01925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p> <p>4- दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले।</p> <p>5- पंचायत अधि01981 के अंतर्गत सिविल वाद तथा आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>6- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले।</p> <p>7- न0पा0 अधिनियम 1961 की धारा 139 तथा</p>

			<p>172 के अंतर्गत मामले।</p> <p>8- जनपद पंचायत सोहागपुर से उदभूत ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार के प्रकरण।</p> <p>9- ऐसे सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सोहागपुर जो पूर्व में पदस्थ थे किन्तु वर्तमान में उनके न्यायालय रिक्त हों उनके न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल वादों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>10- अन्य कार्य जो प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपे जावे।</p>
1	2	3	4
27	सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सोहागपुर (श्री अंशुल चंद्रा)	तहसील सोहागपुर	<p>1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1/- से 5,00,000/- तक हो।</p> <p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 100/- तक हो।</p> <p>3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले एवं अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>4- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सोहागपुर के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>5- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय समय पर निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
पिपरिया एवं पचमढी			
28	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पिपरिया (श्री मनीष कुमार पाटीदार)	सेशन खंड नर्मदापुरम तहसील पिपरिया, बनखेडी एवं पचमढी	<p>1- रुपये 1,00,00,001/- से अधिक तथा रुपये 10,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सभी प्रकार के सिविल वाद एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले।</p> <p>2- द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पिपरिया एवं श्रृंखला न्यायालय पचमढी के न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल वाद एवं विविध वाद अपीलें।</p> <p>3- श्री देव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया एवं श्रृंखला न्यायालय पचमढी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिकाएं</p> <p>4- न0पा0 अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</p> <p>5- हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956</p> <p>6- हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि0 1955 के तहत मामले।</p> <p>7- माध्यस्थ अधिनियम 1996 के अंतर्गत</p>

			<p>मामले।</p> <p>8— संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1956 के तहत मामले।</p> <p>9— हिंदू विवाह अधि0 1955 के तहत एवं अन्य वैवाहिक अधिनियम के वाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>10— इंडियन ल्यूनेंसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>11— प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख से कम हो।</p> <p>12— संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधि. 1890 के अंतर्गत मामले।</p> <p>13— ऐसे समस्त जिला/सेशन न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रेक न्यायालय लिंक कोर्ट, पिपरिया जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त</p>
1	2	3	4
			<p>न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>14— बालको के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>15— अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
		तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी	16— विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		पुलिस थाना मंगलवारा और पचमढी	17— कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर यान अधिनियम 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले।
			18— कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सेशन मामले, जमानत आवेदन पत्र।
29	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पिपरिया (श्री मुन्नालाल राठौर)	सेशन खंड नर्मदापुरम तहसील पिपरिया, बनखेड़ी एवं पचमढी	<p>1— अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>2— प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पिपरिया एवं प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पिपरिया एवं प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल/विविध अपीलें एवं आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>3— म0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेटॉरी एथोरिटी (RERA) भोपाल द्वारा धारा 40 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डब्लपमेंट) अधिनियम 2016 एवं नियम 26 म0प्र0 रियल स्टेट</p>

			<p>(रेग्यूलेशन एंड डब्लपमेंट) नियम 2016 के अंतर्गत प्रकरणों में पारित आदेशों के निष्पादन प्रकरण।</p> <p>4- समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जाने वाला कार्य।</p>
		तहसील मुख्यालय पिपरिया पर प्रस्तुत होने वाले	<p>5- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही।</p> <p>6- म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित अपीलों का निराकरण।</p>
1	2	3	4
		पुलिस थाना स्टेशन रोड, जी.आर.पी. और बनखेड़ी	<p>7- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर यान अधिनियम, 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले।</p> <p>8- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सेशन मामले, जमानत आवेदन पत्र।</p>
30	तृतीय जिला न्यायाधीश, पिपरिया (रिक्त)	रिक्त	रिक्त
31	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया (श्री देव कुमार)	तहसील पिपरिया	<p>1- तहसील क्षेत्र के रू0 5,00,001 से 1,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सिविल वाद तथा उक्त वादों से संबंधित निष्पादन एवं विविध वाद।</p> <p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 101/- से 500/- तक हो।</p> <p>3- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p> <p>4- दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले।</p> <p>5- पंचायत अधि01981 के अंतर्गत सिविल वाद तथा आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>6- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्या0 वाद तथा निष्पादन मामले।</p> <p>7- न0पा0 अधि01961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत मामले।</p> <p>8- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय</p>

			<p>न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>9- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
32	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिपरिया (श्रीमती बिंदिया पाठक)	तहसील बनखेड़ी	<p>1- तहसील क्षेत्र के रू0 5,00,001 से 1,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सिविल वाद तथा उक्त वादों से संबंधित निष्पादन एवं विविध वाद।</p> <p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 101/- से 500/- तक हो।</p> <p>3- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p> <p>4- दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले।</p> <p>5- पंचायत अधि01981 के अंतर्गत सिविल वाद</p>
1	2	3	4
			<p>तथा आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>6- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्या0 वाद तथा निष्पादन मामले।</p> <p>7- न0पा0 अधि01961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत मामले।</p> <p>8- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
33	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया (श्रीमती शालिनी मिश्रा)	तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी	<p>1- तहसील क्षेत्र के नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1/- से 5,00,000/- तक हो।</p> <p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 100/- तक हो।</p> <p>3- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले।</p> <p>4- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>5- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।</p>
33	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया श्रृंखला न्यायालय, पचमढ़ी	कैन्टोंमेंट एरिया, पचमढ़ी	<p>1- तहसील क्षेत्र के नियमित सिविलवाद जिनका मूल्यांकन 1/- से 1,00,00,000/- तक हो एवं उक्त से संबंधित निष्पादन एवं विविध मामले।</p> <p>2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 500/-रू. तक हो।</p> <p>3- नियमित सिविलवाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक तथा निष्पादन मामले</p> <p>4- भारतीय उत्तराधिकार अधि. 1925 के भाग अंतर्गत प्रस्तुत मामले।</p>

			<p>5— दिवालिया अधि.के अंतर्गत मामले।</p> <p>6— पंचायत अधि. 1961 के अंतर्गत सिविल तथा आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>7— न.पा.अधि. 1961 की धारा 139 के अंतर्गत मामले।</p> <p>8— ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड पंचमढ़ी के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>9— अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
1	2	3	4
34	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-कनिष्ठ खंड, पंचमढ़ी (रिक्त)	रिक्त	रिक्त
35	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-कनिष्ठ खंड, पंचमढ़ी (रिक्त)	रिक्त	रिक्त
36	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-कनिष्ठ खंड, पिपरिया (रिक्त)	रिक्त	रिक्त

(सतीश चंद्र शर्मा)
 प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 नर्मदापुरम (म0प्र0)

विशिष्ट निर्देश

1— प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में :- अ प्रभारी अपर सेशन न्यायाधीश ऐसे पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन जो कि पूर्व में किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकृत किए गए हैं, या उसी अपराध से संबंधित नवीन जमानत आवेदन हैं, को ऐसे अपर सेशन न्यायाधीश की ओर विधि अनुसार निराकरण के लिए भेजेंगे और ऐसे जमानत आवेदन ऐसे अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित समझे जावेंगे।

ब— निम्नानुसार थाने के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रथम बार प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र सुनवाई हेतु अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित समझे जावेंगे :-

क्रमांक	न्यायालय	थाना
1	विशेष न्यायालय, नर्मदापुरम	थाना कोतवाली, नर्मदापुरम
2	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	थाना देहात, नर्मदापुरम, आबकारी वृत्त अ एवं ब एवं खनिज
3	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	थाना माखन नगर, एवं आबकारी वृत्त तथा थाना डोलरिया एवं आबकारी वृत्त
4	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	महिला थाना
5	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम	मुख्यालय पर प्रस्तुत होने वाले वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं वन अपराध से संबंधित जमानत आवेदन

3— संपूर्ण सेशन खंड नर्मदापुरम के विशेष सेशन न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिए जाने वाले सेशन मामलों को छोड़कर समस्त सेशन प्रकरणों का इंद्राज सेशन न्यायालय में संधारित सेशन पंजी में नियमानुसार किया जावे, (प्रकरण के सी.आई.एस. में पंजीयन के उपरांत एवं प्रकरण के निराकरण के उपरांत सेशन पंजी में आवश्यक इंद्राज किए जाने हेतु अविलंब सूचना प्रेषित की जावे)

4— तहसील इटारसी, पिपरिया और सोहागपुर के आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले
(अ) विशेष सेशन न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिए जाने वाले सेशन मामलों को छोड़कर समस्त सेशन प्रकरण सेशन न्यायालय को उपापिंत किये जायेंगे, जिन्हें संबंधित अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में भेजा जाएगा।

(ब) आपराधिक अपील, पुनरीक्षण याचिका, संबंधित अपर सेशन न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(स) उपरोक्त सेशन प्रकरण, आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण याचिका पंजीयन एवं निदेशन (Madeover) की कार्यवाही के लिए सेशन न्यायाधीश सेशन खंड नर्मदापुरम के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे मामलों में अभियुक्त को सेशन न्यायालय नर्मदापुरम भेजना आवश्यक नहीं होगा।

(द) उपार्पण उपरांत संबंधित अपर सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति हेतु आगामी ऐसी तिथि नियत की जावे, जिसके पूर्व पंजीयन एवं निदेशन (Madeover) की कार्यवाही पूर्ण हो सके एवं सेशन न्यायालय में पंजीयन हेतु तिथि नियत न की जावे।

5— मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत "सिविल न्यायालय" की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामले सिविल वाद की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालयों द्वारा सुने जायेंगे।

6— केन्द्रीयकृत पंजीयन कार्यालय में पंजीयन उपरांत संबंधित प्रकरण इस कार्य विभाजन के आदेश के अनुसार संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जायेगा।

7— समस्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड को कार्य विभाजन का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर रहेगा।

8— इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित दावे के श्रवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् उक्त मामले यथावत् जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारित किये जायेंगे।

9— तहसील मुख्यालयों पर अपर सेशन न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थित रहने पर उक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य का प्रभार चार्ट अनुसार रहेगा एवं अन्य फॉर्मल प्रकरणों में अपने अपने तहसील मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे।

10— इस न्यायिक स्थापना में कार्यरत समस्त अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

नर्मदापुरम/इटारसी/सोहागपुर/ पिपरिया जिला नर्मदापुरम (मध्य प्रदेश) को निर्देशित किया जाता है कि, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के प्रकरणों में आवेदक की ओर से दावा प्रस्तुति के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के अतिरिक्त पृथक से समस्त दस्तावेजों की 03 प्रतियां भी संलग्न कराई जावे, जो अनावेदकगण को उपस्थित होने पर उन्हें तत्काल प्रदान कराना सुनिश्चित किया जावे।

11- माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक ए/4777/तीन-10-21/2022 भाग-एक, जबलपुर, दिनांक 16.12.2022 के निर्देशानुसार जनपद नर्मदापुरम एवं डोलरिया जनपद के ग्रामों के क्षेत्र के कार्यविभाजन में संशोधन के संबंध में मुख्यालय नर्मदापुरम की शिकायत निवारण समिति के समक्ष चर्चा की गई एवं पारित प्रस्ताव अनुसार तहसील डोलरिया के समस्त ग्रामों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों को अधिकृत किया गया है।

12- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश की अवधि में म0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21(4) में दिये गये निर्देशों के अनुसार सिविल मामलों का प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि अति आवश्यक श्रवण करना समझा जाता है तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सीधे प्रस्तुत होंगे एवं अतिआवश्यक कार्य संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संपादित करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार न्यायाधीश कार्य संपादित करेंगे।

(सतीश चंद्र शर्मा)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)